राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 दूरभाष 0141-2374044

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/102/2022/2238 दिनांक:- 5/4/23

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान के पत्रांक प.17 (2) परि/2023 जयपुर दिनांक 05.04.2023 के द्वारा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102300717 दिनांक 04.04.2023 से प्रदेश में लक्खी मेलों के अवसर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में मेला अवधि के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार प्राप्त हुई है ।

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 130 वर्ष 2023-24 के क्रम में निम्नलिखित प्रसिद्व मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रीयों को पूर्व में किराये में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है।

क्र0स0	जिला	मेले का नाम
1.	अजमेर	पुष्कर मेला
2.	करौली	कैलोदवी मेला
3.	भरतपुर	झील का बाडा मेला
4.	जैसलमेर	श्रीरामदेवरा मेला

2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 52 तथा 130 के अनुसार निम्नलिखित मेलों में भी किराये में 50 प्रतिशत छूट की उक्त रियायती सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

क्र0स0	जिला	मेले का नाम
1.	अजमेर	उर्स मेला
2.	सीकर	खाटूश्याम जी मेला
3.	चूरू	सालासर बालाजी मेला
4	हनुमानगढ	गोगामेड़ी मेला
5	डूंगरपुर	बेणेश्वर धाम मेला
6	सवाईमाधोपुर	रणथम्भौर गणेश जी मेला
7	टोंक	डिग्गी कल्याण जी मेला
8	अलवर	भृतहरि/पाण्डूपोल मेला
9	श्रीगंगानगर	बुढाडा जोहड गुरू द्वारा
10	बीकानेर	फाल्गुन (मुकाम)
11	चित्तौडगढ	सांवलिया सेठ -जलझूलनी एकादशी मेला

अतः उक्त की अनुपालना में सभी सम्बधितों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में मेला अवधि के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने की अनुमति निम्नांकित प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है।

1. यात्रियों के जिन वर्गो को पहले से यात्री किराये में छूट दी जा रही है, उन्हे किराया छूट के वर्ग में अनुज्ञेय छूट अथवा 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अनुज्ञेय होगी।
2. यह रियायत उक्त वर्णित सम्बन्धित मेलों में सम्बन्धित अवधि में मेला स्थल तक आने-जाने वाले यात्रियों को राजस्थान राज्य की सीमा में ही प्रदान की जावेगी।
3. इस रियायती यात्रा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ 4/मु./याता./लेखा/2011/1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार करते हुये प्रतिमाह अन्य निःशुल्क/रियायती यात्राओं के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की जावेगी। जिसके आधार पर सांख्यिकी शाखा द्वारा उक्त राशि के पर्नभरण हेतु राज्य सरकार को सूचना प्रेषित की जावेगी।